न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या :— 01/141/2017

1. रणजीत पुत्र हरिराम सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल राजगढ — वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ — प्रतिवादीगण

दावा दुरस्ती इन्द्राज

दिनांक 20.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट कलेशान पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा वाद दुरस्ती इन्द्राज का पेश कर निवेदन किया किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1422/0.03, 1423/0.19, 1439/0.51, 1448/0.05, 1456/0.52, 1469/0.12, 1470/0.08, 1471/0.30, 1495/0.36, 1757/0.10, 1774/0.15 है. वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त आराजी का खातेदार वादी का पिता हरिराम था। उसकी मृत्यु के बाद उसके 1/2 हिस्से का खातेदार रामस्वरूप, हीरालाल वो चिरंजीलाल के नाम दर्ज हो गया। हरिराम के वारिसान रामस्वरूप, हीरालाल वो चिरंजीलाल दर्ज किया है। हरिराम के चिरंजीलाल नाम का कोई लडका पैदा नहीं हुआ था जबकि रणजीत नाम का लडका पैदा हुआ था। अन्त में वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी विवादित के खातेदारी कॉलम में जहां चिरंजीलाल दर्ज है। उसे हजफ किया जाकर रणजीत दुरस्त करने का निवेदन किया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से आज दिनांक 20.01.2018 को कैम्प के दौरान तहसीलदार राजगढ व पटवारी हल्का द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर वाद वादी तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए चिरंजीलाल के स्थान पर रणजीत दुरस्त करने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से वाद पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र मिट्ठन लाल, कल्याण सहाय, सरपंच ग्राम पंचायत कलेशान का प्रमाण पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2071—74, परिवार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक व मूलनिवास प्रमाण पत्र की जो प्रति पेश की है, का भी अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ व पटवारी हल्का से वादी वादी तथ्यों के सही होने की पुष्टि होती है तथा दावा वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी दुरस्ती इन्द्राज हाल आराजी खसरा नम्बर 1422/0.03, 1423/0.19, 1439/0.51, 1448/0.05, 1456/0.52, 1469/0.12, 1470/0.08, 1471/0.30, 1495/0.36, 1757/0.10, 1774/0.15 है. वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी खातेदारी कॉलम में दर्ज चिरंजीलाल नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम रणजीत दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। वादी उक्तानुसार अपना सही नाम चिरंजीलाल के स्थान पर रणजीत हाल रिकॉर्ड में दुरस्त कराने का अधिकारी है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट कलेशान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या	प्रवेश तिथि	किस्म वाद	निर्णय तिथि
1 / 141 / 2017	12.09.2017	दुरस्ती इन्द्राज	20.06.2018

1. रणजीत पुत्र हरिराम सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल राजगढ — वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर
2. तहसीलदार साहब राजगढ — प्रतिवादीगण

दावा दुरस्ती इन्द्राज

पर्चा डिक्री दिनांक 20.06.2018

दावा वादी दुरस्ती इन्द्राज हाल आराजी खसरा नम्बर 1422 / 0.03, 1423 / 0.19, 1439 / 0.51, 1448 / 0.05, 1456 / 0.52, 1469 / 0.12, 1470 / 0.08, 1471 / 0.30, 1495 / 0.36, 1757 / 0.10, 1774 / 0.15 है. वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी खातेदारी कॉलम में दर्ज चिरंजीलाल नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम रणजीत दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। वादी उक्तानुसार अपना सही नाम चिरंजीलाल के स्थान पर रणजीत हाल रिकॉर्ड में दुरस्त कराने का अधिकारी है। पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.06.2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर तैयार की गई।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट कलेशान)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official